

अनपान कमला वनाम नीमादेवी प्रकरण 343
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2025

2
नम्बर व तारीख अहकाम
जो इस हुकम की तार्मीन
में जारी हुए

पशवली आज पेची में ली गई। प्रार्थी
कृष्ण आडि की ओर से अचि. विनोद
पारीक व अप्रार्थी कमला आडि की
ओर से अचि. वरिन्ड गुप्ता उपस्थित।
प्रार्थना पत्र 07/11/19 पर उभयपक्ष को
सुना जा चुका है। प्रार्थी अधिवक्ता
विनोद पारीक का कथन है कि
अप्रार्थी कमला आडि द्वारा जर्जिय वाड
पत्र नीमा देवी के नाम दर्ज भूचि
चक्र 8 MD खाता खं. 5/25 में दर्ज
दस्ता 1.034 ई. में खं. 0.906 ईस्टियर
की घोषणा चाही है जबकि नीमादेवी
द्वारा अपना दस्ता जर्जिय रजिस्टर्ड अर्था
पत्र अपने पुराने कृष्ण आडि के पक्ष
में तर्क कर चुकी है इसलिए घोषणा
का वाद तब तक पोषणिय नहीं है
जब तक रजिस्टर्ड दस्तावेज प्रभाव
में है। अतः वाद पत्र खारिज किये
जावे। अधिवक्ता प्रतिपक्ष द्वारा दस्त रचने
पर एतराद व्यस्त कर प्रार्थना पत्र 07/11/19
पर खारिज किये जाने का निवेदन किया।
पशवली का अवलोकन किया। बहस
उभयपक्ष पर सनन किया। डिड अराविका
की धारा 14 रुदली है कि डिड महिला
द्वारा अर्जित कोई भी संपत्ति उसका स्त्रियन
पुरुष संपत्ति मानी जाती है। यदि दस्तावेज
प्रभाव में रहते वही घोषणा का अनुलेख
प्राचित नहीं कर सकता है। प्रार्थना पत्र
07/11/19 स्विकार कर दस्तागत कोड पत्र
खारिज किया जाता है और सुनाया गया।

सहायक कोर्ट
मुख्यालय